



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2015/वैशाख 4, 1937

No. 260]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2015 /VAISAKHA 4, 1937

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2015

सा.का.नि.321(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग समूह "क" राजपत्रित पद (अननुसचिवीय), वैज्ञानिक और तकनीकी) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में वैज्ञानिकों के पदों की भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वैज्ञानिक, समूह "क" पद भर्ती नियम, 2015 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में जबतक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "केंद्र सरकार" से भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ख) "फील्ड अनुभव" से सुनम्य पूरक प्रोन्नतियों के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत हैं:-

(i) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों (जैसेकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, (एनआईडब्ल्यूई), राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान (एनआईआरई) अथवा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) {पूर्वतः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सौर ऊर्जा केन्द्र—(एसईसी) के रूप में ज्ञात } अथवा ऐसा अन्य कोई वैज्ञानिक संस्थान इसके प्रादेशिक कार्यालयों सहित) में कार्य अनुभव, किसी संगठन में भर्ती के बाद मूल अथवा अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डॉक्टरेट डिग्री अथवा पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान में व्यतीत की गई अवधि ;

(ii) नई अथवा अनुवर्ती काल में सुधार हेतु सामग्री, युक्ति, उत्पाद, प्रोसेस, प्रणाली अथवा सेवा, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग अंतर्वलित है, के उत्पादन की दिशा में निदेशित वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु परीक्षणात्मक विकास में कार्य अनुभव; और

(iii) अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों, मिशन मोड में परिचालित वैज्ञानिक परियोजनाओं में कार्य अनुभव तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं अथवा वैज्ञानिक कार्य में कार्य और सहायता का अनुभव;

(ग) "प्रबंधकीय क्षमता" से वरिष्ठ स्तर पर, गुणवत्तापूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को साथ जोड़ने संबंधी मुद्दों की स्पष्ट समझ के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वयन की योग्यता तथा अधीनस्थों को निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता और उनको उच्चतर स्तर का उत्तरदायित्व संभालने हेतु तैयार करने की योग्यता;

(घ) "अनुसंधान और विकास अनुभव" से सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत है :-

(i) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों में कार्य अनुभव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मूल अनुसंधान में डॉक्टरल अथवा पोस्ट डॉक्टरल डिग्री के संबंध में व्यतीत की गई अवधि;

(ii) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों में कार्य अनुभव, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डॉक्टरल अथवा पोस्ट डॉक्टरल डिग्री के संबंध में व्यतीत की गई अवधि ;

(iii) किसी नई अथवा भरपूर उन्नत सामग्री, युक्ति, उत्पाद, प्रोसेस, प्रणाली अथवा सेवा के उत्पादन की दिशा में निदेशित वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु परीक्षणात्मक विकास में कार्य अनुभव जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, परंतु ऐसा कार्य वैज्ञानिक ज्ञान के नेमी उपयोग का नहीं, लेकिन नई आविष्कारी प्रणालियों, पद्धतियों, प्रतिदर्शों के सृजन हेतु वैज्ञानिक ज्ञान में अनुप्रयोग का है ;

(iv) अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और संस्थानों, मिशन मोड में परिचालित वैज्ञानिक परियोजनाओं में कार्य अनुभव, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अनुसंधान एवं विकास में कार्य का अनुभव ;

(v) वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं अथवा किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में किसी पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान परियोजना में पूर्ण कालिक कार्य अनुभव, जो ऐसे संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से प्रमाणन द्वारा प्रमाणित हो और प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिका में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन;

(ङ) "संशोधित सुनम्य सम्पूरक स्कीम" (एफसीएस) से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ओ.एम. सं. एबी-14017/37/2008-एस्ट. (आरआर) तारीख 10 सितम्बर, 2010, को यथाअधिसूचित स्कीम अभिप्रेत है;

(च) "वैज्ञानिक अथवा अभियंता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में स्नातक डिग्री की शैक्षिक योग्यता रखता है ; तथा

(ख) वैज्ञानिक पद धारक हैं ;

(छ) "वैज्ञानिक पद" से वह पद अभिप्रेत है, जिसमें पदधारी किसी वैज्ञानिक संस्था अथवा वैज्ञानिक विभाग अथवा संगठन के रूप में घोषित संगठन में कार्यरत वैज्ञानिक अथवा अभियंता है तथा जो नव वैज्ञानिक ज्ञान अथवा आविष्कारी अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकीय अथवा चिकित्सा तकनीकों के सृजन में कार्यरत है अथवा जो वृत्तिक अनुसंधान कार्य और विकास में प्रमुख रूप से सम्मिलित है;

(ज) "वैज्ञानिक गतिविधियां अथवा सेवाएं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है तथा उसमें सम्मिलित हैं अर्थात् :-

(i) आधारभूत अथवा मूल अनुसंधान अर्थात् नया वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु मौलिक अन्वेषण, जो किसी प्रायोगिक लक्ष्य अथवा अनुप्रयोग की दिशा में निदेशित होना आवश्यक नहीं है; वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थान में कार्य, मूल अनुसंधान में डॉक्टरल अथवा पोस्ट-डॉक्टरल डिग्री के संबंध में व्यतीत किया गया समय;

(ii) अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अर्थात् किसी विशिष्ट प्रायोगिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य की दिशा में निदेशित नया वैज्ञानिक अथवा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु मौलिक अन्वेषण; वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थान में कार्य, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डॉक्टरल अथवा पोस्ट-डॉक्टरल डिग्री के संबंध में व्यतीत किया गया समय;

